इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 527] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 नवम्बर 2011—अग्रहायण 8, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2011

क्र. 25261-वि.स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम, 64 के उपबन्धों के पालन में, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 38 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 29 नवम्बर, 2011 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३८ सन् २०११

राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०११

राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

धारा ७ का संशोधन. २. राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९७ (क्रमांक ४१ सन् १९९७) की धारा ७ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(१) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, या उसका नामनिर्देशिती, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आसीन न्यायाधीश हो, संस्थान का कुलाध्यक्ष (विजिटर) होगा.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९७ (क्रमांक ४१ सन् १९९७) की धारा ७ में यह उपबंध है कि भारत का मुख्य न्यायमूर्ति संस्थान का कुलाध्यक्ष (विजिटर) होगा. भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति को अनेक प्रकार के कर्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन करना होता है. इस दृष्टि से कि कुलाध्यक्ष (विजिटर) के उत्तरदायित्वों का प्रभावी तरीके से पालन हो सके, उक्त अधिनियम की धारा ७ को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २३ नवम्बर, २०११

लक्ष्मीकांत शर्मा
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 540] भोपाल, बुधवार, दिनांक 30 नवम्बर 2011—अग्रहायण 9, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2011

क्र. 7030-409-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 38 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 38 OF 2011.

THE RASHTRIYA VIDHI SANSTHAN VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN, VIDHEYAK, 2011.

A Bill further to amend the Rashtriya **Vidhi Sansthan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1997**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows:—

Short title

1. This Act may be called the Rashtriya Vidhi Sansthan Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011.

Amendment of Section 7.

2. In Section 7 of the Rashtriya Vidhi Sansthan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1997 (No. 41 of 1997), for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) The Chief Justice of India, or his nominee who shall be a sitting Judge of the Supreme Court of India, shall be the Visitor of the Institute.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 7 of the Rashtriya Vidhi Sansthan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1997 (No. 41 of 1997), provides that the Chief Justice of India shall be the "Visitor" of the Institute. Hon'ble the Chief Justice of India is required to discharge multifaceted duties and functions. With a view that the responsibilities of Visitor be performed effectively, it is proposed to suitably amend Section 7 of the said Act.

2. Hence this Bill.

BHOPAL :
Dated the 23rd November, 2011

LAXMIKANT SHARMA
Member-In-Charge.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.